अनवान मनजीत सिंह बनाम अजमेर सिंह व अन्य
प्रकरण संख्या 2021/152

15.10.24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 04 सपठित धारा 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए कथन किए कि –

प्रतिवादी संख्या 5 सीमारानी पुत्री महेन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी चक 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का बमुकाम ढाणी बुर्जवाली, जोक डिप्पुलाणा डाकखाना किडियावाली तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब का दिनांक 01.01.2024 को देहान्त हो गया है उक्त प्रकरण में जो वाद पत्र में अकिंत आराजी कृषि में जो आराजी प्रतिवादी संख्या 05 के हिस्से में आती है वह आराजी वादी को ग्रहण करने के आदेश दिये जावे। क्योकि प्रतिवादी संख्या 05 का केवल मात्र 1 ही वारिस है क्योकि प्रतिवादी संख्या 05 के अन्य कोई विधिक वारिस नही है। उक्त प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है अतः प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त वाद पत्र में लाल स्याही से प्रतिवादी संख्या 05 के लिगल व जायज वारिस मंजीत सिंह है अकिंत किया जावे । अन्य कोई न्यायोचित आदेश फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब बहस में कथन किया गया कि अगर सीमा रानी के अकेला अधिकृत वारिस है तो उसके लिये कानून में अलग से प्रावधान बनाये गये है जिनके तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। आदेश 22 नियम 4 सीपीसी प्रतिवादी पक्षकार के स्वर्गवास होने के उपरान्त उसके वारिसान को प्रतिस्थापित करने का प्रावधान है ना कि उसके नाम को लाल स्याही से अकंन कर वादी को उसके हक व हिस्से का अधिकारी घोषित करने का अधिकार है इस कारण आवश्यक कानूनी प्रावधानो के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार फाजिल्का की रिर्पोट दिनांक 30.05.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 05 के विधिक वारिस मनजीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह है जो कि पूर्व में वादी के रूप में पक्षकार संयोजित है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 05 के नाम कलमजन किया जाता है। पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक हेतु दिनांक 22.10.24 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.09 13:59:02 IST
Reason: SelfAttested